रा0रा0- 7/MCH 35 48/2023 24 - 356 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-- सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक-- 15/01/2025

विषयः— **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में बजट उपबंध से प्राप्त सहायक अनुदान—गैर वेतन मद की राशि रु० 70,00,00,000/—(रूपये सत्तर करोड़) मात्र के व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य मे अतिविशिष्ट विषयो मे उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओ और स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सतत शिक्षा के विकास करने एव चिकित्सा शास्त्र विषयो के क्षेत्र मे सेवा, अनुसधान और शिक्षा को बढावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम सख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा सस्थान मे सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। सस्थान मे कई चिकित्सको को नियुक्त किया गया है, मेडिकल, नर्सिग कॉलेज एव स्टेट कैसर इन्स्टीच्यूट खोला गया है। उक्त परिस्थिति मे पूर्व वर्षो की भाति इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024--25 मे स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय मे उपबधित सहायक अनुदान—गैर वेतन की राशि रू० 70,00,00,000/—(रूपये सत्तर करोड) मात्र के व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनाक—17 04 1998, 2880/वि0(2), दिनाक—06 05 2006, 2938/वि0(2), दिनाक—08 04 2008, 3758/वि0, दिनाक—31 05 2017, 4443/वि0, दिनाक—14 06 2018 एव 12888/वि०, दिनांक—03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अतर्गत मॉग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी--0017—इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, पटना, विपत्र कोड-- 20--2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017—31—06 सहायक अनुदान—गैर वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में उपबधित राशि से किया जायेगा।

(4) इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी सस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

(5) अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से निदेशक, इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA003 विपत्र कोड—00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-15923 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र मे प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(6) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

(7) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना प्राप्त राशि का अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग के माध्यम से ससमय महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेगी।

(8) विहित प्रपत्र मे व्यय विवरणी टी०वी० नं० एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 15वी तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेगे।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) स्वीकृत्यादेश प्रारूप मे सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/MCH–35–48/2023–24 के पृष्ठ–05/टि0 मे प्राप्त है।

(11) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

(12) इसमे महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.1.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/MCH–35–48/2023–24 – 356 (7)/स्वा0, पटना, दिनाक–15/01/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियो के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.1.25

सरकार के अपर सचिव